



न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल, ग्वालियर म.

आ-1623-PBR-16

पुन. याचिका क्र. :-

प्रस्तुति दिनांक :- 18/05/2016.

श्रीमती कस्तुरी बाई  
कोरकु  
18-5-16

1. श्रीमती कस्तुरी बाई आयु करीब 60 वर्ष पति कडमा कोरकु व्यवसाय कास्तकारी एवं ग्रहिणी, निवासी ग्राम घाघरला, तहसील नेपानगर, जिला बुरहानपुर म 090

— याचिका कर्ता / आपत्तिकर्ता

-वि-

1. उकईबाई आयु करीब 60 वर्ष पुत्री नानु कोरकु
  2. बुलईबाई आयु करीब 55 वर्ष पुत्री नानु कोरकु
- दोनों निवासी ग्राम घाघरला, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर

— प्रत्यर्थी/आवेदिका गण

-वि-

1. कडमा आयु करीब 65 वर्ष पिता नानु कोरकु
  2. हिरंगीबाई आयु करीब वर्ष पिता नानु कोरकु
- दोनों निवासी ग्राम घाघरला, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर

— प्रत्यर्थी/अनावेदकगण

पुनरीक्षण याचिका म. प्र. अ. रा. संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत याचिकाकर्ता / आपत्तिकर्ता की ओर से।

20.6.16  
M  
(निर्देशिका 15)

तहसील दाम न्यायनगर के प. नं. 8/A-20/14-15

विशेष आदेश दिनांक 3/2/16

Handwritten signature

R 1623-11/16 3.2.2016

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अधिकारियों आदि के हस्ताक्षर
<p>21.6.2016</p>	<p>आवेदिका की ओर से श्री हेमन्त शर्मा आयोगी उपायुक्त। गायिका पर बना गया। तहसीलदार के आदेश दिनांक 3.2.2016 की सत्य प्रतीति का अवकाश किया गया। प्रस्तावित भूखंड आवेदिका डा. इय की जाकर हस्ताक्षर प्रस्तुत किया गया। अतः वह प्रकार में हितवक्तृ पत्रकार है। एसी स्थिति में तहसीलदार डा. आवेदिका को पत्रकार नहीं बनाने में अग्रगण्य कार्यवाही की गई है। अतः उनका आदेश दिनांक 3.2.2016 निरस्त किया जाकर आवेदिका को पत्रकार बनाये जाने के निर्देश दिये जाते हैं।</p>	<p><i>(Signature)</i></p>

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*